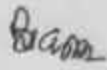


पटना पीठ
OA(IIu)/PNBE/ 352/2019

मीना देवी (APPLICANT)

बनाम (VERSUS)

भारत संघ द्वारा महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर (RESPONDENT)

दिनांक Date	अपील/चौक Appeal/Chauk	अपील/ Remarks
30.07.2025	याची के विद्वान अधिवक्ता : अनुपस्थित । प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता : अनुपस्थित । प्रस्तुतकर्ता अधिकारी उपस्थित । प्रस्तुत प्रकरण माननीय अध्यक्ष महोदय प्रधान पीठ नई दिल्ली के आदेश से इस न्यायाधिकरण को दो माह के अंदर याची के साक्ष्य पूर्ण किये जाने के निदेश के साथ प्राप्त हुई है। विगत तिथि 17.06.2025 के द्वारा याचिनी पर अंतिम रिमान्डर नोटिस भेजे जाने के आदेश हुए थे जिसके अनुपालन में याचिनी पर नोटिस आज के तिथि के लिए भेजा गया था। कार्यालय से ट्रैक रसीद दाखिल की गयी है जिसके अनुसार 04.07.2025 को याचिनी पर नोटिस तामिला हो जाना दर्शाया गया है। अतः याचिनी पर नोटिस की तामिला पर्याप्त मानी जाती है। याचिनी पर नोटिस की तामिला हो जाने के बावजूद भी याचिनी अथवा याचिनी की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए हैं। पत्रावली याचिनी की साक्ष्य में है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि याचिनी प्रस्तुत मामले को चलाना नहीं चाहती इसीलिए न तो उसने कोई साक्ष्य प्रस्तुत की और न ही वह उपस्थित हुई । विपक्षी रेलवे की ओर से प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा याचिनी के अनुपस्थिति के कारण उसका वाद खारिज किये जाने का अनुरोध किया है। अतः याचिनी के अनुपस्थिति के कारण वाद खारिज (Dismissed for default) किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर किया जाये।	
	 सदस्य (तकनीकी) रेल दावा अधिकरण, पटना।	 सदस्य (न्यायिक) रेल दावा अधिकरण, पटना।